बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञाप

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री नरेन्द्र प्रसाद, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चिरैया एवं ढाका को निगरानी धावा दल द्वारा क्रमशः 11,000/- (ग्यारह हजार रूपये) एवं 6,000/- (छः हजार रूपये) घुस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं निगरानी थाना काण्ड सं0- 029/2012, दिनांक 23.03.2012, धारा- 7/13(2) -सह- पठित धारा- 13(1)(डी0) भ्रा0नि0अधि0-1988 दायर किया गया ।

उक्त के आलोक में श्री प्रसाद को निलम्बित किया गया था एवं वर्त्तमान में भी श्री प्रसाद बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(II) के तहत अपराधिक मामला विचाराधीन होने के कारण निलम्बित है, के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु उप निदेश, खाद्य तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति अपने स्तर से तामिला कराकर तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पुरी कर जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगें ।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. आरोपी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी को अवश्य समर्पित कर देगें ।

27/2/2013

(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0नि0-04/2012 1343 /खाद्य,पटना/दिनांक 1.3.2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/उप निदेशक, खाद्य तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर -सह- संचालन पदाधिकारी तिरहुत प्रमंडल, मु0पुर (प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, -सह- साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ)/प्रशाखा पदाधिकारी-3 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर/श्री नरेन्द्र प्रसाद, निलम्बित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सचिवालय मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/2/2013

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\backup\Year_2012(p)\section_8(P)\Nov_11\Off_ord.doc